भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2207

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में निःशुल्क औषधि एवं निदान सेवा पहल

†2207. श्री पुष्पेंद्र सरोजः

सुश्री इकरा चौधरीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा पहल को जिलेवार क्रियान्वित करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच) और जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है और उक्त के अंतर्गत राज्य को स्वीकृत और वितरित निधि कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की संख्या और उनके संचालन हेतु स्वीकृत और वितरित कुल निधि कितनी है;

(ग) उत्तर प्रदेश के वे कौन-कौन से जिले हैं जहाँ मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 87 प्रति लाख से अधिक है, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 22 प्रति हजार से अधिक है और कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.0 से अधिक है; और

(घ) राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के अंतर्गत जिलेवार कितनी प्रतिशत किशोरियों को मासिक रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन क्षेत्र के भीतर, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में निःशुल्क अनिवार्य दवाओं और निःशुल्क आवश्यक नैदानिक सेवाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत, मंत्रालय ने अनिवार्य दवाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में सुविधा वार अनिवार्य औषधि सूची (ईडीएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' (एफडीएसआई) कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत समुदाय के निकट सुलभ और किफायती, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) में कमी आए। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में इन स्वास्थ्य केंद्रों में अनुशंसित दवाओं और नैदानिक सेवाओं की संख्या नीचे दी गई है। हालाँकि, राज्यों के पास इनकी संख्याएँ बढ़ाने की छूट है।

क्र.सं.	**सुविधाकेंद्रों का नाम**	**अनिवार्य दवाओं की संख्या**	**नैदानिक सेवाओं की संख्या**
1	डीएचएस	381	134
2	एसडीएच	318	111
3	सीएचसी	300	97
4	एएएम-पीएचसी	172	63
5	एएएम-उप केंद्र	106	14

निःशुल्क औषधि और नैदानिक सेवा पहलों के लिए स्वीकृत निधियों की राशि को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत पीआईपी के अनुसार एनएचएम कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के तहत अनुमोदित किया जाता है।

(ख): राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दिनांक 15.07.2025 तक कुल 22999 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को (एएएम) [पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)] संचालित किया गया है। एनएचएम के अंतर्गत एएएम के कार्यकरण हेतु कुल बजट, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत पीआईपी के अनुसार एनएचएम आरओपी के अंतर्गत अनुमोदित किया जाता है।

(ग): एसआरएस (नमूना पंजीकरण प्रणाली) 2020-22 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 141 प्रति लाख जीवित जन्म है, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 38 प्रति 1000 जीवित जन्म है। उत्तर प्रदेश में एनएफएचएस-5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) 2019-21 के अनुसार कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.4 है।

(घ): सरकार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 'मासिक धर्म स्वच्छता योजना' (एमएचएस) कार्यान्वित कर रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) संबंधी उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 94,279 किशोरियों को प्रत्येक माह सैनिटरी नैपकिन प्राप्त हुए। राष्ट्रीय स्तर पर जिले-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****